संख्या-114/2023/2287/सैंतीस-2-2023/001-1(10)/2022

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-03 अक्टूबर, 2023

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-15 के अधीन पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-52/सा0-1/एक्स-84(120)/प.रो.नि./2023-24, दिनांक-23.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-10-पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-72.75 लाख (रूपये बहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	7.60
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	32.25
29-अनुरक्षण	3.80
39-औषधि तथा रसायन	11.40
42-अन्य व्यय (मतदेय)	3.80
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	9.60
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.80
योग-	**72.75**

(रूपये बहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(3) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।

(5) विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(6) जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(7) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(8) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001011000 (पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	015	2403001011000 पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7,60,000 (रुपये सात लाख साठ हजार मात्र)
2	015	2403001011000 पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	32,25,000 (रुपये बत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र)
3	015	2403001011000 पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	29 अनुरक्षण	3,80,000 (रुपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	015	2403001011000 पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	39 औषधि तथा रसायन	11,40,000 (रुपये ग्यारह लाख चालीस हजार मात्र)
5	015	2403001011000 पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	42 अन्य व्यय	3,80,000 (रुपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र)
6	015	2403001011000 पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	9,60,000 (रुपये नौ लाख साठ हजार मात्र)
7	015	2403001011000 पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	015	2403001011000 पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,80,000 (रुपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र)
	कुल			**72,75,000** **(रुपये बहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

महायोग	72,75,000 (रुपये बहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-221-X-2023-24-दिनांक:25-9-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-114/2023/2287(1)/सैंतीस-2-2023/001-1(10)/2022, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।